प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–13.10.2023(सं0–340)

बेतिया जिलान्तर्गत कुमारबाग ओ0पी0 क्षेत्र में प्रतिवेदित अपहरण की घटना का अद्यतन

- दिनांक 11.10.2023 के अपराह्न लगभग 13:30बजे बेतिया जिला के कुमारबाग ओ0पी0 क्षेत्र अन्तर्गत ओ0पी0 से लगभग 01 कि0मी0 पश्चिम स्थित उच्च विद्यालय कुमारबाग से नवम वर्ग के छात्र आशीष कुमार (आयु 14वर्ष), पिता नगनारायण साह, साकिन रानीपुर , थाना चनपटिया (कुमारबाग ओ0पी0) कक्षा से गायब हो गयें।
- उसी दिन संध्या में लगभग 19:00 बजे आशीष के पिता के मोबाइल पर अज्ञात के द्वारा फोन कर 20 लाख रुपयों के फिरौती की माँग की गई तथा फिरौती नहीं देने पर आशीष की हत्या कर दिये जाने की धमकी दी गई।
- उसी दिन लगभग 20:30 बजे रात्रि में आशीष के पिता के द्वारा इसकी सूचना ओ0पी0 पर दी गई जिसके आधार पर चनपटिया (कुमारबाग ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 631/23 दिनांक–11.10.2023 धारा 363/364ए भा0द0वि0 अंकित कर अपहृत की बरामदगी हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
- अनुसंधान के क्रम में विद्यालय के कुछ छात्रों के द्वारा अपहृत छात्र के लगभग 13:00 से 13:30 बजे के मध्य विद्यालय की चाहरदिवारी फाँद कर किसी के साथ जाते हुए देखने की बात बताई गई।
- काण्ड के उदभेदन तथा अपहृत की बरामदगी हेतु गठित विशेष टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के उपरांत घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों 01.रौशन कुमार 19वर्ष, 02.रामू कुमार 22वर्ष ,03.राजबली साह 19वर्ष तीनों साकिन कुड़वा मठिया, थाना चनपटिया (कुमारबाग ओ0पी0) को फिरौती माँगने में प्रयुक्त सिम एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 01 अल्पवय बालक को विधि निरुद्ध किया गया।
- पूछताछ के उपरांत उनलोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा उनलोगों ने बताया की अपहृत छात्र आशीष की उसी दिन दिनांक 11.10.2023 को लगभग 15:00 बजे उन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी तथा संध्या में उसके पिता से फिरौती की माँग की गई थी।
- उनकी निशानदेही पर दिनांक 12.10.2023 की रात्रि में कुमारबाग ओ0पी0 क्षेत्र में बन्द पड़ी रेशम फैक्ट्री के पीछे से अपहृत छात्र का पानी में डुबो कर हत्या

किया हुआ शव बरामद किया गया। अन्त्य परीक्षण के उपरांत मृतक छात्र के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया।

- अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश मे आई कि यह मामला प्रेम–प्रसंग का था जिसमें मृतक छात्र की हत्या कर उसके पिता से फिरौती की माँग की गई थी। किसी अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
- वर्तमान में स्थिति सामान्य है।

XXXXXXX